न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 67/2017/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायराः 7.6.2017
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. संजय कुमार पुंत्र सुन्दरलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0 हाल निवासी बीएड कॉलेज रोड सकतपुरा कोटा जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर बांरा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा।
3. सूरजमल पुत्र बख्शू निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

... रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री संजीव जैन अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2
श्री रविन्द्र विजय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3

:::निर्णय:::

दिनांक 5.12.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू अभि) मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अध्आीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं. 9/14 सूरजमल बनाम संजय कुमार मे पारित निर्णय दिनांक 16.2.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 सूरजमल द्वारा ग्राम पंचायत सीसवाली के द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 1041 दिनांक 2.2.2008 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2014 अनुसार अपील स्वीकार कर दोनो पक्षो की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को रिमांड किया गया। परीक्षण न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड वसीयत की जांच किये बिना तथा अपीलांट मृतक सुन्दरलाल का एक मात्र वैधानिक वारिस होने के बावजूद अपीलांट को बिना विधिवत सुनवाई, जवाबदेही, साक्ष्य सबूत लिये ही अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच किये बिना ही रेस्पो0 क्रम–3 सूरजमल को वसीयत के आधार पर मृतक सुन्दरलाल का वारिस मानकर विवादित आराजी ख0 नं0 1763 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम सीसवाली को ग्राम पंचायत सीसवाली की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर, रेस्पो0 क्रम–3 के पक्ष मे खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मांगरोल का आदेश दिनांक 16.2.2016 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 व 2 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। रेस्पो0 क्रम 3 के अभिभाषक दौराने बहस बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 16.2.20.16 की अपील न्यायालय जिला कलक्टर बांरा के यहां पेश की गई। जिसे जिला कलक्टर बांरा द्वारा तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित उक्त आदेश दोनो पक्षो को सुनकर धारा 135 (2) एलआरएक्ट के

अन्तर्गत पारित किया जाना मानते हुये दिनांक 20.3.2017 से प्रकरण सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जाने पर माननीय न्यायालय मे पेश की गई। नामा0 सं0 1041 दिनांक 2.2.2008 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2014 अनुसार अपील स्वीकार कर दोनो पक्षो की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को रिमांड किया गया। परीक्षण न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड वसीयत की जांच किये बिना तथा अपीलांट मृतक सुन्दरलाल का एक मात्र वैधानिक वारिस होने के बावजूद अपीलांट को बिना विधिवत सुनवाई, जवाबदेही, साक्ष्य सबूत लिये ही अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच किये बिना ही रेस्पो0 क्रम–3 सूरजमल को वसीयत के आधार पर मृतक सुन्दरलाल का वारिस मानकर विवादित आराजी ख0 नं0 1763 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम सीसवाली को ग्राम पंचायत सीसवाली की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर, रेस्पो0 क्रम–3 के पक्ष मे खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है क्योंकि स्टाम्प पेपर नही है। परीक्षण न्यायालय का आदेश पूर्णतया गलत है। सूरजमल का पुत्र सजय जीवित है। गोद के प्रमाण नही है। वसीयत प्रोपर नही है। पंचो के पुराने बयानों को साक्ष्य का आधार बनाया गया है तहसीलदार ने वसीयत की प्रमाणिकता की जांच नही की। अतः प्रकरण रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 दौराने बहस प्रकरण मे उपस्थित नही हुये।

6 अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। विलम्ब के संबध मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित किया कि जेरअपील आदेश की अपील अन्दर मियाद जिला कलक्टर बांरा के न्यायालय मे पेश कर दी थी जिसे क्षैत्राधिकार के अभाव मे सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जाने उपरांत न्यायालय हाजा मे पेश की गई। अतः उक्तानुसार देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। रेस्पो0 की ओर से अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया अतः अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 हमने अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम 1 व 2 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा जेरअपील आदेश दिनांक 16.2.2016 उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 17.1.2014 से नामा0 सं0 1041 दिनांक 2.2.2008 ग्राम पंचायत सीसवाली खारिज किया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने उपरांत पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.2.2016 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा ना ही वसीयत की प्रमाणिकता की साक्ष्य/सबूतो से जांच की गई। आलौच्य निर्णय ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को आधार बनाकर पारित किया जाना प्रकट होता जिसे उचित नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि रेस्पो0 क्रम–3 की ओर से उसके विद्वान अभिभाषक ने भी दौराने बहस उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतः तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम परीक्षण न्यायालय के आलौच्य निर्णय दिनांक 16.2.2016 को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.2.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को उभय पक्षों को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वसीयत की प्रमाणिकता की साक्ष्य/सबूतो से जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 5.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त